रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1979/पौष 25, 1900
No. 18] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1979/PAUSA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 6—ई टी सी (पी एन)/79

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

विषय :—1978-79 के दौरान—नेपाल को जैगरी (गुड़) का निर्यात।

निर्दिश सं० 28/1/78-ईI :—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 79—ई टी सी (पी एन)/78 दिनांक 22 दिसम्बर, 1978 और संशोधन आदेश सं० ई(सी) ओ० 1977/ए एम(89) दिनांक 15-1-79 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें जैगरी (गुड़) की निर्यात नीति बताई गई है।

2. यह निश्चय किया गया है कि जैगरी (गुड़) के निर्यात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेन्स-3 के अधीन सभी अनुमत स्थानों के लिए दी जाएगी । तदनुसार, निर्यात नीति 1978-79 के साथ पढ़ी जाने वाली जैगरी (गुड़) की घोषित निर्यात नीति देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 79-ई टी सी (पीएन)/78 दिनांक 22-12-78, निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :—

क्रम सं०	निर्यात नीति की पृष्ठ सं०	संशोधन
1.	क्रम सं० 34 कालम 3	"खुला सामान्य लाइसेंस-3 के अधीन निर्यात की अनुमति सभी अनुमति स्थानों के लिए है।"

का० बे० शेषाद्रि
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 6-ETC(PN)/79

New Delhi, the 15th January, 1979

Sub. : Export of Jaggery (Gur) to Nepal during 1978-79.

F. No. 28/1/78-EI.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 79-ETC(PN)/78 dated 22nd December, 1978, and Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(89) dated 15-1-79, laying down the export policy of Jaggery (Gur).

2. It has been decided that export of Jaggery (Gur) will be allowed under O.G.L. 3 to all permissible destinations. Accordingly, the export policy of Jaggery (Gur) announced vide Public Notice No. 79-ETC(PN)/78 dated 22nd December, 1978, read with Export Policy 1978-79, shall be amended to read as under :—

S. No.	Page No. of Export Policy	Amendment
1.	S. No. 34 Col. 3	"Export allowed under OGL. 3 to all permissible destinations".

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979